न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 07/2018 अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. भौरा पुत्र दल्ला कौम स्वामी निवासी ग्राम कानूगोवाली स्वामीयान तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार, बानसूर

:---- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर दिनांक 3.7.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अनिल कुमार गुप्ता

2. राजकीय अभिभाषक :– श्री विनोद यादव

निर्णय दिनांक 17.10.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर द्वारा अपील संख्या 12/05/2018 उनवान भौरा बनाम तहसीलदार बानसूर में पारित निर्णय दिनांक 3.7.18 के खिलाफ है, जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार बानसूर को रिमांड किया गया था ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का होलावास ने तहसीलदार को रिपोर्ट की कि अप्रार्थी भौरा ने ग्राम कानूगोवाली की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 894, 895 रकबा 63 एयर किस्म गैर मुमकिन चाहारागाह

17/10/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

और गैर मुमकिन स्कूल में से 7 एयर रकबे पर सम्वत 2074 में अतिक्रमण कर लिया है । अतः उसके खिलाफ धारा 91 एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही की जावे । तहसीलदार, बानसूर ने अप्रार्थी भौरा के खिलाफ धारा 91 एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 28.2.2018 के द्वारा बेदखली एवं शास्ति वसूली का आदेश पारित किया था । तहसीलदार, बानसूर के इस निर्णय दिनांक 28.2.2018 के विरूद्ध अपीलांट भौंरा ने प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर में प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 3.7.2018 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार को रिमांड किया गया था । अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर के इस निर्णय दिनांक 3.7.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि तहसीलदार, बानसूर द्वारा अपीलांट की तामील नहीं कराई गई । अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया । बाला बाला निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट अतिक्रमी नहीं है, बल्कि 70 साल से विवादित भूमि पर उसका कब्जा चला आ रहा है । अपीलांट का स्कूल की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, बल्कि अपीलांट व स्कूल बाउण्ड्री के बीच में सरकारी रोड है । रोड के दूसरी तरफ स्कूल की कोई भूमि नहीं है । तहसीलदार ने तथ्यों पर गौर किये बिना तथा पैमायश कराये बिना निर्णय पारित कर दिया । पुराने कब्जे के आधार पर अपीलांट का नियमन का प्रकरण बनता है, परन्तु तहसीलदार ने गलत अंकित कर दिया कि प्रकरण नियमन का नहीं बनता है । अपीलांट के खिलाफ धारा 91 एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये, बल्कि नियमन की जानी चाहिये थी, जिस ओर विद्वान तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर ने भी गौर नहीं किया और गलत तौर पर प्रकरण रिमांड कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये राजकीय अभिभाषक का कथन है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन भूमि की श्रेणी में आती है, जिस पर अपीलांट का अतिक्रमण साबित है । इसलिये अपीलांट के खिलाफ सही तौर पर 91 की कार्यवाही की गई है । धारा 91 की कार्यवाही के तहत नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती । वैसे भी विवादित भूमि गैर मुमकिन चारागाह

11/11/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

और गैर मुमकिन स्कूल है, जो ना तो नियमन योग्य है और ना ही आवंटन योग्य है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.4.2018 के द्वारा प्रकरण का निस्तारण 03 माह में करने के दिये हुये हैं । अपीलांट ने देरी करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत है, जो सारहीन है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहसीलदार, बानसूर की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 894 व 895 में से 07 एयर रकबा पर अपीलांट का अतिक्रमण साबित है । तहसीलदार बानसूर ने नोटिस जारी कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया है । विवादित भूमि गैर मुमकिन चारागाह और गैर मुमकिन स्कूल की भूमि है, जो ना तो नियमन योग्य है और ना ही आवंटन योग्य है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने डी0 बी0 सिविल रिट नम्बर 2277/2018 उनवान मनोहर वगैरा बनाम राज0 सरकार में निर्णय दिनांक 30.4.2018 पारित कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 894 व 895 पर से 3 माह के अन्दर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये हैं । उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि जब माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने 03 माह के अन्दर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं और तहसीलदार, बानसूर ने अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया था तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर द्वारा प्रकरण को पुनः सुनने हेतु रिमांड किया जाना न्यायसंगत नहीं है, लिहाजा अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर का उक्त अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3.7.2018 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, बानसूर का निर्णय दिनांक 28.2.2018 यथावत रखा जाता है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना तहसीलदार बानसूर निर्देशानुसार करें ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner